

15/03/23 पत्रावली पेश हुई। अचिक्यहागनां टिकाल में हान के
कारण पत्रावली आदिवा दिनांक 22/03/23 को पेश हो।

22/03/23 पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची ठपठ। पिपानागना
को जवाब देने के अनेक अवसर देने के बावजूद भी
जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया जाता है
वकील आर्ची ने बहप सुने का निवेदन किया। वकील आर्ची
की बहप सुनी गई। बहप पर मनन किया पत्रावली का
अध्ययन अवलोकन किया जिसमें ^{प्रतिहीन है} आर्ची का आर्चना पत्र
स्वीकार करने योग्य है। अतः नेश्वमबंदी निर्णय अलग से
लिखा जाउर शीतल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुमार सेकट दखिल दफ्तर हो। अद्यपि के उन हो।

